कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।

पत्रांक:भ– 1 /सीएफओ/जीबीएन–10(तृतीय) /14 दिनांक:जनवरी 2 2010.

सेवा मे,

प्रभारी, (भवन प्रकोष्ठ)
नौएडा सेक्टर–6
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषय: **मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्लाट न0–001, सेक्टर–117 (यूनिवर्ल्ड गार्डन) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित रेजीडेन्शियल अपार्टमेन्ट भवन निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा के सम्बन्ध मे अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध मे।**

कृप्या उपरोक्त विषयक प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध मे मानचित्रो का परीक्षण एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:–

1– मानचित्रों मे भवन के सामने रोड की चोडाई मानको के अनुरूप दशाई गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

2– भवन के निमार्ण हेतु फेज तृतीय मे कुल–22225.00 वर्ग मी का प्लाट है जिसमे से 2882.00 वर्ग मी0 पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है भवन मे दो बेसमेन्ट के अतिरिक्त भूतल से 13वे तल तक 06 आवासीय ब्लाक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा भवन की उँचाई 41.90 मीटर है।

3– प्रत्येक बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–2882.00 वर्ग मी0कुल कवर्ड एरिया–5773.52 वर्ग मी0 है।

5– स्टेयर केस एवं लिफट

भवन के प्रत्येक ब्लाक मे नीचे के तलो से उपरी तलो तक के लिए प्रत्येक ब्लाक मे दो स्टेयर केस का प्राविधान किया जाये जो तथा किसी भी आपात स्थिति मे लिफट का प्रयोग न किया जाये।

6– सैटबेक

मानचित्रों मे भवन के चारो तरफ अंकित सेटबेक को छोडा जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बनघ मे नोएडा आथर्टी के नियमो का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमे से 06 मीटर मोटरेबुल सेटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक मे किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थाई निमार्ण न कराया जाये।

7– जीव रक्षा के सुझाव

1 .भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दोरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति मे 12 चेन्ज होना आवश्यक है।

3 भवन मे रिफयूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–4.12.1 से 4.12.3 तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

4 यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

5 भवन मे ट्रांसफारमर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–सी 1.16 मे दिये गये निर्देशो का पालन किया जाय।

6 भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

एन0बी0सी0 पार्ट–4,2005 के मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझावः–

1– प्रश्नोत्तरी मे प्रस्तावित भवन हेतु अग्निशमन कार्यो के लिए 1,00,000 लीटर पानी की क्षमता का टेंक, 5,000 लीटर पानी की क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जबकि टेरेस टैंक 20,000 ली0 का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा दोनो टैंको को जोडते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविद्यान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज केबिनेट स्थापित किये जाये एवं प्रत्येक होज केबिनेट मे दो दो अदद आर0 आर0 एल0 होज पाईप 15–15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाये।

2– वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम का एक अदद विद्युत चालित फायर पम्प , इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी फायर पम्प स्थापित किये जाये। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन0आर0वी0 व उपर की तरफ एयर रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।

3– भवन के प्रत्येक बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये।

5– भवन के चारो और रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस का प्राविघान किया जाये।

6– भवन के प्रत्येक तल पर मेनुवल आपरेटिड ईलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविद्यान किया जाये।

7– भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जायें ताकि आपातस्थिति मे भवन के अन्दर कार्यरत लोगो को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।

8– भवन के अन्दर फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन0बी0सी0–2005 के क्लॉज सी–5 मे दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये

9– भवन मे स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख मे कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आर्फ–2005 पार्ट–4 के क्लाज सी–6 मे दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

अतः मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्लाट न0–001, सेक्टर–117 (यूनिवर्ल्ड गार्डन) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित रेजीडेन्शियल अपार्टमेन्ट भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई

अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

(महावीर सिंह) 07/11/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्लाट न0--001, सेक्टर–117 (यूनिवर्ल्ड गार्डन) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।